**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद**

**पीठासीन अधिकारी :–** बिन्दुबाला राजावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 06 / 2024

किस्म :– वाद–पत्र

दायर दिनांक : 01.01.2024

निर्णय दिनांक : 26.02.2026

**अनवान**

1.– किशनलाल पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

2.– चन्द्रप्रकाश पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. जमनालाल पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. नाराणी पत्नि स्व. पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. मोवती पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. नानीबाई पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. रामलाल पुत्र मोडीराम जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
7. उगमी पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

7 / 1 किशनलाल पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7 / 2 केसर पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7 / 3 देउ पिता जेतारात जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7 / 4 पानी पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

8 . रामेश्वरलाल पुत्र हरलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद

9. रोशनलाल पिता गुला जाति खटीक, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती

वादी की ओर से:– अधिवक्ता शेलेन्द्रसिंह

प्रतिवादी की ओर से:– अधिवक्ता रमेशचंद्र अहीर

## निर्णय

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादी का वाद ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती का निम्न आधारो पर संक्षिप्त में प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित है कि ग्राम रेलमगरा, पटवार हल्का रेलमगरा तहसील क्षैत्र रेलमगरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2077–2077 में खाता संख्या 1370 में वर्णित आराजी संख्या 143,144, 145, कुल किता 03 कुल रकबा 0.7122 हेक्टेयर एंव खाता संख्या 1371 में वर्णित आराजी संख्या 2239 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की निम्न कृषि भूमियां स्थित है प्रमाणित जमाबंदी की नकल साथ पेश है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि पूर्व में वादीगण के पिता पीरूलाल पिता मोडीराम जाति खटीक के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक से दर्ज थी। जो भूमि पीरूलाल की मृत्यु की पश्चात् विरासत से नामान्तरकरण के जरिये पीरूलाल के विधिक वारिसान के नाम पर विरासत के आधार पर दर्ज हुई। जिससें वादीगण का नाम सही रूप से अकित नही कर पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा वादीगण का बोलता हुआ नाम किशनलाल की बजाय कन्हैयालाल व चन्द्रप्रकाश की बजाय प्रकाशचन्द्र दर्ज कर दिया गया है। तथा इसी आधार पर ग्राम पंचायत ने भी उक्त नामान्तरकरण वादीगण के गलत नाम कन्हैयालाल व प्रकाशचन्द्र का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णित कर दिया गया है। जबकि वादीगण का सही एवं रेकार्डेड नाम कन्हैयालाल नही होकर किशनलाल व प्रकाशचन्द्र नही होकर चन्द्रप्रकाश ही है। तथा इसी नाम से वादीगण के सभी दस्तावेज बने हुऐ होकर वर्तमान में इसी नाम किशनलाल व चन्द्रप्रकाश के नाम से ही गांव में जाना व पहचाना जाता है। तथा दस्तावेजो में भी यही नाम अंकित है। जिससे पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरकरण में वादीगण का गलत नाम पीरूलाल के विरासत के रूप में कन्हैयालाल व प्रकाशचन्द्र वादीगण के अन्य भाईयों के साथ अंकित कर दिया गया है। जो नाम आज भी बदस्तुर चला आ रहा है। जबकि कन्हैयालाल व प्रकाशचन्द्र के नाम से वादीगण के कोई रेकार्डेड दस्तावेज मोजुद नही होकर वर्तमान में कन्हैयालाल व प्रकाशचन्द्र नाम का अन्य कोई व्यक्ति पीरूलाल का विधिक वारिसान मोजुद नही है। जिससे वादीगण उक्त भूमियों मे अकित नाम कन्हैयालाल पिता पीरूलाल की जगह किशनलाल पिता पीरूलाल व प्रकाशचन्द की जगह चन्द्रप्रकाश का सही नाम दर्ज करवाना चाहता है। एवं उक्त लिपिकीय त्रुटि जो पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण भरते समय की गई थी उसे दुरूस्त कराकर उसकी जगह उपरोक्त अनुसार सही नाम अंकित करवाना चाहता है। इस हेतु उक्त वादपत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादीगण को उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने की पुर्व में कोई जानकारी नही थी, परन्तु अभी वर्तमान में आज से 20 दिन पहले वादीगण को जब उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता हुई तब वादीगण ने राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया तब ही उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई। एवं तभी वादीगण ने अन्य दस्तावेज प्राप्त कर विधि अनुसार अविलम्ब उक्त वादपत्र बाबत् लिपिकीय भुल को दुरूस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

है ताकि भविष्य में अन्य कोई परेशानिया वादीगण को उत्पन्न नही होवें। जो दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा वादीगण के हक अधिकार की उक्त भूमियों के संबध में भविष्य में वादीगण को एवं वादीगण के विधिक वारिसान को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडेगा एवं कई प्रकार के मुकदमे बढने की सम्भावना है। जिससे उक्त आशय का दुरूस्ती का अंकन कराया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त संबंध में वादीगण ने तहसीलदार महोदय रेलमगरा को उक्त आशय का शुद्विपत्र जारी कराने बाबत् निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इन्कार कर देने से उक्त वादपत्र पेश किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। साथ ही इस संबंध में ग्राम पंचायत रेलमगरा भी यह स्पष्ट है कि वादीगण को ही गांव में किशनलाल एवं कन्हैयालाल तथा प्रकाशचन्द्र व चन्द्रप्रकाश दोनो ही नाम से जाना जाता है। किन्तु रेकार्ड में नाम आरम्भ से ही किशनलाल च चन्द्रप्रकाश ही दर्ज होने से उक्त आशय का दुरूस्ती का अंकन वादीगण उपरोक्त अंकित राजस्व रेकार्ड में करवाना चाहते है। इस हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके साथ ही वादीगण का आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं विद्यालय की अंकतालिका व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि आज से 20 दिन पूर्व उक्त आशय की दुरूस्ती बाबत् तहसीलदार महोदय रेलमगरा को निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इन्कार करने से वादपत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रतिवादी संख्या 10 राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है अन्यथा इनके के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाही गई है। यह कि जमाबंदी में आज भी नाबाजिग दर्ज है वादीगण वर्तमान में बालिग हो चुके है प्रमाण में वादीगण के आधार कार्ड की प्रति पेश है जिससे उक्त जमाबंदी में वादीगण के नाम की शुद्वि के साथ ही नाबालिग से बालिग दर्ज किया जाना भी नितान्त आवश्यक है जिस हेतु भी उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रेलमगरा तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से एवं उक्त संबंध में लिपिकीय भुल पटवारी हल्का रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण में कर देने से उक्त मामले की सुनवाई की अधिकारिता मानयीय आप न्यायालय को प्राप्त है। यह कि खातेदार पुष्पा पुत्री पीरूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसका विरासत का नामान्तरकरण फैसल नही हुआ है जिसके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की कलमं संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का नाम कन्हैयालाल के बजाय किशनलाल व प्रकाशचन्द्र के बजाय चन्द्रप्रकाश ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेखो में अंकन फरमाया जावें तथा वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावें। अन्य कोई समुचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है दिलाई जावें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 की और जरिये अधिवक्ता स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारक एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई है, जिससे जवाब की आवश्यकता नही रही।

वादी ने अपने वाद के सर्मथन में एवं दस्तावेज जमाबन्दी खाता संख्या 1371 की प्रमाणित, नामान्तरकरण संख्या 3356 की आधार कार्ड, राशनकार्ड, एवं विद्यालय की अंकतालिका, व ग्राम पंचायत रेलमगरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बहिनो द्वारा किये गये हक त्याग की प्रतियां के प्रस्तुत की गयी। तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 की और स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया किये जाने से साक्ष्य के आवश्कता नही रहती है।

वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,136, आर0 टी0 ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 143, 144, 145, 2239, में वादीगण का नाम कन्हैयालाल के बजाय किशनलाल व प्रकाशचन्द्र के बजाय चन्द्रप्रकाश दुरूस्त घोषित किया जाता है, इसी अनुस्प डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दूबाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में प्रारम्भिक डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द**

पीठासीन अधिकारी– बिन्दुबाला राजावत

राजस्व वाद संख्या– 6/2024 वाद

**अनवान**

वादीपक्ष

1. किशनलाल पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. चन्द्रप्रकाश पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

**बनाम**

प्रतिवादीपक्ष

1. कमलेश पुत्र पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2. जमनालाल पिता पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3. नाराणी पत्नि स्व. पीरूलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4. मोवती पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
5. नानीबाई पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
6. रामलाल पुत्र मोडीराम जाति खटीक निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
7. उगमी पुत्री मोडीराम जाति खटीक, निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

7/1 किशनलाल पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7/2 केसर पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7/3 देउ पिता जेतारात जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

7/4 पानी पिता जेताराम जाति खटीक, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा

8 . रामेश्वरलाल पुत्र हरलाल जाति खटीक, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद

9. रोशनलाल पिता गुला जाति खटीक, निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

वाद अन्तर्गत धारा 88,136, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से:– अधिवक्ता, शेलेन्द्रसिंह

प्रतिवादी की ओर से:– रमेशचन्द्र अहीर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में इस आशय में दिनांक 26.02.2026 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि अन्तर्गत धारा 88,136, आर0 टी0 ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा के आराजी संख्या 143, 144, 145, 2239, में वादीगण का नाम कन्हैयालाल के बजाय किशनलाल व प्रकाशचन्द्र के बजाय चन्द्रप्रकाश दुरूस्त घोषित किया जाता है, तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा